## WESTERN RAILWAY

P.S.No.65/2014

Headquarter Office, Churchgate, Mumbai-20

No. E(R&T)120/10 Vol.XX

Date:18.07.2014

To.

All DRMs / CWMs & Units Incharge,

C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.

C/- ZS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai

C/- ZS-All India OBC Rly Empl. Assn. Mumbai.

Sub: Forwarding of Gazette Notification No.S.O.912(E) dated 27<sup>th</sup>
March 2014 regarding reconstitution of Central Apprenticeship
Council under Apprentices Act, 1961.

========

Copy of Railway Board's letter No.E(MPP)2013/6/7 dated 20.05.2014 (R.B.E.No.51/2014) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

( Neha Gupta ) APO(R&T)

For General Manager (E)



## GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No51/2014

No.E[MPP]2013/6/7

New Dein.

dated:25.04-2014

The General Managers (P) All Indian Railways and Production Units.

> Sub: Forwarding of Gazelle Notification No.S.O.912(E) dated 27.3.2014 regarding reconstitution of Central Apprenticeship Council under Apprentices Act, 1941.

A copy of the notification No.S.O.9.12 (E) dated 37° March 2014 published in Part II. Section 3, Sub-Section (ii) of the Extraordinary Gazette of India regarding reconstitution of the Central Apprenticeship Council under the Apprenticeship Act, 1961 is enclosed for information, guidance and necessary action.

Please acknowledga receipt

DA:As above

(Anuradha Singh) Director (MPP) Railway Board. भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एमपीपी)2013/6/7

आरबीई सं. 51/2014 नई दिल्ली, दिनांक 20.04.2014

महाप्रबंधक(पी) सभी भारतीय देखें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: प्रशिक्षुता अधिनियन, 1961 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद के पुनर्गठन के बारे में दिनांक 27.3.2014 के राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ.912(ई) को अथेथित करना।

प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद के पुनर्वठन के बारे में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड III) में प्रकाशित दिनांक 27 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं एस.ओं.912(ई) की प्रतिनिधि सूचना, मार्गनिर्देश और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

कृपया पावती दे।

संलग्नकः यथोकत

अनुबन्धी (अनुराधा सिंह) निदेशक (एमपीपी) रेलवे बोर्ड



EXTRAORDINARY भाग II - न्द्रण्ड ३---उप-खण्ड (II)

PART (I-Section 3-Sub-section (ii) प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 781] No. 7811

नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, मार्च 27, 2014 येव 6, 1936

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजनार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

का.**आ**.912(अ),\_केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् नियम, 1962 के नियम 3 और नियम 4 के साथ गठित शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 24 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के थम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 466(अ) तारीख 24 फरवरी, 2010 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय शिक्षता परिषद् का निम्नानुसार पुनर्गठम करती है.---

क. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री

- अध्यक्ष

छ, श्री पी.पी. मैथ्यू

- उपाध्यक्षं

बद्राकुन्नल, एलीकल, 11, गिरि नगर, कड़ावंतरा

कोचीन, केरल

ग. पब्लिक सेक्टर स्थापनों के नियोजकों के प्रतिनिधिः

भारत हैवी इलेक्ट्रिकला लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि

– सदस्य

1387 6742-14

-		
2.	भारत इजेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा नामनिर्विष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स निमिटेड द्वारा भामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑप इंडिया निमिटेट द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	- सदस्य
	गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	- सदस्य
	महाराष्ट्र राज्य सङ्क परिवहन निगम लिमिटेड	– सदस्य
	प्राइबेट सेक्टर स्थापनों के नियोजकों के प्रतिनिधिः	
1.	भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
2.	टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
3.	इंडियन होटल कम्पनी निर्मिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
4.	टाटा कंसलटेंसी सेवा द्वारा नागनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– शदस्य
5.	वीएलसीसी हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	- सदस्य
б.	टोबोटा किलॉस्कर मोटर पाइवेट सिमिटेड द्वारा नामनिर्दिट प्रतिनिधि	– सदस्य
7.	अपोलो अस्पताल रामृह द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
	ब्रंडई मोटर इंडिया लिमिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
	पोपीज निटवियर प्राइवेट लिभिटेड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
	केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधिः	
1.	रेल गंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	- सदस्य
2	रका उत्पादन विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
3	विद्युत मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
4	. मुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नामनिर्विष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
5	कॉपॅरिट कार्य मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
6	पञ्जिक उद्यम विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
7	्रसायन और पेट्टोरसायन विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
8	. वह्य मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
9	. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कृतिंग द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
	0.सचित, थम और रोजगार मंत्रालय	– सदस्य
	<ol> <li>उप महानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालच, श्रम और रोजगार मंत्रालय</li> </ol>	– सदस्य
	<ol> <li>अपर शिधुता सलाहाकार. उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय</li> </ol>	- सदस्य
1	<ol> <li>क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहाकार, श्रेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, केंद्रई</li> </ol>	- गदस्य

14.रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक तथा संयुक्त सचिव.	– सदस्य मुचिव
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
च. राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधिः	
<ol> <li>राज्य शिक्षुता सलाहकार, आंध्र प्रदेश</li> </ol>	- सदस्य
<ol> <li>राज्य शिक्षुता सलाहकार, गुजरात</li> </ol>	– सदस्य
<ol> <li>राज्य शिक्षुता सलाहकार, कर्नाटक</li> </ol>	- सदस्य
<ol> <li>राज्य शिक्षुता सलाहुकार, बिहार</li> </ol>	- सदस्य
<ol> <li>राज्य शिक्षुता सलाहकार, तमिलनाबु</li> </ol>	- सदस्य
<ol> <li>राज्य शिक्षुता सलाहकार, उत्तर प्रदेश</li> </ol>	- सदस्य
<ol> <li>राज्य शिक्षुता सत्ताहकार, मध्य प्रदेश</li> </ol>	• सदस्य
<ol> <li>राज्य शिक्षुता सलाहकार, राजस्थान</li> </ol>	• सदस्य
<ol> <li>राज्य शिक्षुता सलाहकार, महाराष्ट्र</li> </ol>	- सदस्य
10. राज्य शिक्षुता सलाहकार, पश्चिमी बंगाल	- सदस्य
11.राज्य शिक्षुता सलाहकार, पंजाब	- सदस्य
12.राज्य शिक्षुता सलाहकार, ओडिशा	- सदस्य
13. राज्य शिक्षुता सलाहकार, केरल	- सदस्य
14. राज्य शिक्षुता सलाहकार, जम्मू-कश्मीर	- सदस्य
15.राज्य शिक्षता सलाहकार, असम	- सदस्य
16.राज्य शिक्षुता सनाहकार, त्रिपुरा	- सदस्य
छ, उद्योग और तकनीकी शिक्षा से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव	रखने वाले व्यक्तिः
1. श्री वी.आर. नायडू	सदस्य
6/1, 8वां 'बी' जॉस	
बसंत नगर	
बंगलौर -52	
<ol> <li>धी रोशन बुडवाडकर</li> </ol>	– सदस्य
एलटी/4/2, विजय नगर सोसाइटी	
मारोल मीरोशी रोट,	
अंधेरी ईस्ट,	
मुनई-400059	*******
3. थी भुजंग शेट्टी	– सदस्य
"प्रजना" गुडवेद्टु,	
बामबाली ग्राम,	
ब्रह्माबर- 576213	
उड्डुपी ता <b>लुफ औ</b> र जिला कर्नाटक	
क्लाटन 4. राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	– सदस्य
an engine analysis and any and any and any	75-57-55

ज सम सम्बंधी	ਰਿਚਗੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ੇਥ ਸ	ान और अनभन रखने	वाले प्रतिनिधि सा व्यक्ति
D. MARTER	Indiana Lateral Al	to a contract of the second of	

- अनुप्रयुक्त जनसाधन अनुसंधान संस्थान द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि सदस्य
- वी.वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि

-- सदस्य

झ. अधिल भारतीय परिषद् और प्रावेशिक बोडौं के प्रतिनिधि

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि सदस्य
- निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर

– सदस्य

[फा.सं. डीजीईटी-8(1)/2013-एमी]

आलोक कुमार, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2014

S.O. 912(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 24 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), read with rules 3 and 4 of the Central Apprenticeship Council Rules, 1962 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Lebour and Employment, number S.O. 466(E), dated the 24th February, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Central Apprenticeship Council for a period of three years from the date of publication of this notification as under:—

A. The Union Minister of Labour and Employment .... Chairman
B. Shri P.P. Mathew
Vattakkunnel Polickal
11, Giri Nagar, Kadavantiira,
Cochin, Kerala

C. Representatives of Employers in Establishments in the Public Sector:-

	Representative nominated by Bharat Heavy Slectricals	Limited			MEGITIANS
1.	Representative nominated by Bharat Electronics Limit	ed	****		Member
2.	Representative nominated by District Education I	implead			Member
3.	Representative nominated by Hindustan Aeronautics I	JHI I I I I			
4.	Representative nominated by Power Grid Corporation	n of India	**** 1		Member
5.	Limited Representative nominated by Gujarat State I	Electricity	***		Member
6.	Corporation Limited Maharashtra State Road Transport Corporation Limite	ed	77.77	- 55	Member

D. Representatives of Employers in Establishments in the Private Sector: -

1. Representative nominated by Bharti Airtel Limited .... Member

-				
	2.	Representative nominated by Tata Motors Limited		Member
	3.	Representative nominated by Indian Hotel Company Limited	444	Member
	4	Representative nominated by Tata Consultancy Services		Member.
	5.	Representative nominated by VLCC Healthcare Limited	54400	Member
	6.	Representative nominated by Toyota Kirloskar Motor Private Limited		Member
	7.	Representative nominated by The Apollo Hospitals Group	7.644	Member
	8.	Representative nominated by Hyundai Motor India Limited	****	Member
	9.	Representative nominated by Poppys Knitwear Private	****	Member
D	. Repre	sentatives of Central Government:-		
	1.	Representative nominated by Ministry of Railways		Member
	2	Representative nominated by Department of Defence Production	****	Member
	3.	Representative nominated by Ministry of Power	4944	Member
	4.	Representative nominated by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	****	Member
	5.	Representative nominated by Ministry of Corporate Affairs		Member
	6.	Representative nominated by Department of Public Enterprises	****	Member
	7.	Representative nominated by Department of Chemical and Petrochemicals	****	Member
	8.	Representative nominated by Ministry of Textile	41.00	Member
	9,	Representative nominated by National Institute of Open Schooling	4.4.49	Member
	10.	Secretary, Ministry of Labour and Employment	****	Member
	11.	Deputy Director General (Apprenticeship Training), Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment	20000	Member
	12.	Additional Apprenticeship Adviser, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development	1111	Member
	13.	Regional Central Apprenticeship Advisor, Regional Directorate of Apprenticeship Training, Chemnai	****	Member
	14.	Director General of Employment and Training and Joint	0.000	Member
	1,625	Secretary, Ministry of Labour and Employment		Secretary
F.	Repress	entatives of the States or Union Territories:-		
258		State Apprenticeship Advisor, Andhra Pradesh	440	Member
	2.	State Apprenticeship Advisor, Gujarat	2.574	Member
	3.	State Apprenticeship Advisor, Kamataka	****	Member
	4.	State Apprenticeship Adviser, Bihar	22.0	Member
	5.	State Apprenticeship Advisor, Tamil Nadu		Member
	6.	State Apprenticeship Advisor, Uttar Pradesh	****	Member
		State Apprenticeship Advisor, Medhya Pradesh	****	Member
	7.	State Apprenticeship Advisor, Meditya Francai	0000	

[F.No. DGET-8 (1)/2013-AP] ALOK KUMAR, Director General/Jt. Secy.